फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

राजस्व वाद संख्या : 2025/29

उनवानः— रामवतार शर्मा बनाम मनीष चौधरी वगै.

पत्रावली आज दिनांक 07.05.2025 को पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री राकेश एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। शा0मि0 किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने वादपत्र का जवाब न देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब दावा पूर्व में पेश किया जा चुका है जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाई गई थी बावजूद सूचना प्रतिवादी संख्या 4 व 5 अनुपस्थित है अतः प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने वाद में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल है। पत्रावली वास्ते इन्तजार कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 28.05.2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय